महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHIKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
Contact No. 0581-2520487, 2527282, 2523378
Website: www.mjpru.ac.in

पत्रांकः रू.वि. / प.नि.का. / 2020 / 1017-23 दिनांक : 29.11.2020

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बन्द्ध महाविद्यालय,
एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

विषय :– कोविड–19 के दृष्टिगत विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने एवं उससे सम्बन्धित परीक्षा सुधार / बैक पेपर परीक्षा के सम्बन्ध में,

महोदय / महोदया,

कोविड–19 के दृष्टिगत विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने एवं उससे सम्बन्धित परीक्षा सुधार / बैक पेपर परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं:–

1. बी.ए, बी.एस.सी. (भाग एक) के ऐसे छात्र जो कि एक विषय के समस्त अथवा एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित हुये हैं, किन्तु वह सम्बन्धित विषय के एक, दो अथवा तीनों प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित हो गये हैं तो ऐसे छात्रों को उनकी अगली कक्षा में अस्थाई (Provisional) रूप से प्रोन्नत कर दिया जाये। ऐसे छात्र सम्बन्धित कक्षा जिसमें वह अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित हैं, की आगामी परीक्षा सुधार परीक्षा में ओवदन कर सम्मिलित होगें। परीक्षा सुधार परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर विश्वविद्यालय में पूर्व में विद्यमान नियम मान्य होगें।

2. बी.ए., बी.एस.सी. (भाग दो) के ऐसे छात्र जो कि एक विषय के समस्त अथवा एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित हुये हैं, किन्तु वह सम्बन्धित विषय के एक, दो अथवा तीनों प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित हो गये हैं तो ऐसे छात्रों को उनकी अगली कक्षा में अस्थायी रूप से प्रोन्नत (Provisionally Promote) कर दिया जाये। ऐसे छात्र सम्बन्धित कक्षा जिसमें वह अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित हैं, में परीक्षा सुधार परीक्षा हेतु ओवदन कर सम्मिलित होगें। परीक्षा सुधार परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर विश्वविद्यालय में पूर्व में विद्यमान नियम मान्य होगें।

3. ऐसे छात्र / छात्रा जो एम.ए. / एम.एस.सी. एवं एम.कॉम. (प्रथम वर्ष) में एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित हुये थे और सम्बन्धित प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित हो गये हैं तो ऐसे छात्रों को उनकी अगली कक्षा में अस्थाई रूप से प्रोन्नत कर दिया जाये। ऐसे छात्र सम्बन्धित कक्षा जिसमें वह अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित हैं, की आगामी परीक्षा सुधार परीक्षा में ओवदन कर सम्मिलित होगें। परीक्षा सुधार परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर विश्वविद्यालय में पूर्व में विद्यमान नियम मान्य होगें।

4. बिन्दु संख्या 01 से 03 तक वर्णित ऐसे समस्त छात्र इस शर्त के साथ अस्थायी (Provisionally) प्रोन्नत होगें कि वह अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र / प्रश्न पत्रों अथवा विषय / विषयों को परीक्षा सुधार परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण कर लेगें। यदि परीक्षा सुधार की परीक्षा में भी उक्त छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो विश्वविद्यालय नियमानुसार वह अपनी पूर्व कक्षा जिसमें सत्र 2019–20 में परीक्षा दी थी, में भूतपूर्व छात्र के रूप में सत्र 2020–21 की परीक्षा में सम्मिलित होगें एवं उनको दी गयी अस्थायी प्रोन्नति स्वतः निरस्त हो जायेगी। बिन्दु संख्या 01 से 03 तक ऐसे समस्त छात्रों को अपने महाविद्यालय में उक्त के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप पर एक स्व घोषणा पत्र देना होगा। (घोषणा पत्र संलग्न है)

5. बी.एड. / बी.पी.एड. / एम.एड. (प्रथम वर्ष) के समस्त छात्र / छात्राएँ जिनकी परीक्षायें कोविड–19 के दृष्टिगत सम्पादित नहीं करायी गयी हैं, को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया गया है तथा उनको द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रथम वर्ष में औसत अंक प्रदान किये जायेगें।

6. बी.एड. / बी.पी.एड. / एम.एड. (अन्तिम वर्ष) तथा व्यावसायिक वार्षिकी परीक्षा, व्यावसायिक एवं सामान्य सम सेमेस्टर परीक्षायें जिनमें मुख्य परीक्षा के साथ ही परीक्षा सुधार / बैक पेपर परीक्षा इत्यादि सम्पन्न करायी जाती हैं तथा कोविड–19 के दृष्टिगत शासन के दिशा निर्देशानुसार उनकी अन्तिम वर्ष / अन्तिम सम सेमेस्टर को छोड़कर परीक्षा सुधार / बैक पेपर परीक्षा इत्यादि सम्पन्न नहीं हो सकी है, में ऐसे छात्र जो अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं किन्तु प्रथम वर्ष अथवा किसी अन्य वर्ष में किसी एक विषय / विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, ऐसे छात्रों को द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ वर्ष में प्राप्त अंकों के आधार पर सम्बन्धित प्रश्नपत्र में औसत अंक प्रदान कर उनका परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।

7. विश्वविद्यालय परिसर के सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में परीक्षा सुधार / बैक पेपर में सम्मिलित होने वाले ऐसे छात्र / छात्राएँ जो अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं, पर भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुये परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।

8. अनिवार्य योग्यता के अन्तर्गत आने वाले खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के ऐसे छात्र जिन्होनें उक्त विषय में उत्तीर्ण होने हेतु किसी भी कक्षा का परीक्षा सुधार परीक्षा आवेदन पत्र अथवा परीक्षा हेतु विशेष अनुमति का आवेदन पत्र भरा था, किन्तु कोविड–19 के दृष्टिगत उनकी परीक्षा सम्पन्न नहीं हुयी है, को आन्तरिक अंक / प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक के आधार पर प्रोन्नत किया जायेगा।

अतः आप समस्त से अनुरोध है कि कृपया उक्त से अवगत होते हुये अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मीडिया प्रभारी, एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
2. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)।
3. प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा / गोपनीय)।
4. प्रभारी, विश्वविद्यालय बेवसाईट / केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र।
5. निजी सचिव कुलपति।
6. वै.सहा. कुलसचिव।

परीक्षा नियंत्रक

(घोषणा पत्र)

मैं .... पुत्र/पुत्री .... सत्र 2019–20 में .... का छात्र/छात्रा था/थी। मेरा अनुक्रमांक .... था। मैं .... प्रश्नपत्र/विषय में अनुत्तीर्ण हूँ। मुझे स्वीकार है कि विश्वविद्यालय ने इस प्रत्याशा में हमें अस्थायी प्रोन्नति प्रदान की है कि परीक्षा सुधार परीक्षा में सम्मिलित होकर मैं अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्रों/विषयों में उत्तीर्ण हो जाऊँगा/जाऊँगीं। यदि परीक्षा सुधार के पश्चात् भी मैं अनुत्तीर्ण रहता/रहती हूँ तो मेरी अस्थायी प्रोन्नति एवं सत्र 2020–21 में अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश विश्वविद्यालय नियमानुसार स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं मैं अपने अनुत्तीर्ण वर्ष की परीक्षा विश्वविद्यालय नियमानुसार भूतपूर्व छात्र के रूप में आगामी सत्र 2020–21 की परीक्षा में सम्मिलित होऊँगा/होऊँगी।

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

महाविद्यालय का नाम : ....

अनुक्रमांक : ....

पाठ्यक्रम : ....